न्यायालय उप जिला कलेक्टर

फर्द अहकाम

दिनांक	
२०·८·१५	पत्रावली पेश हुई प्रतिवादी गण द्वारा विगत तारीख पेशी पर हाजिर अदालत आकर यह जाहिर किया है की वाद वादी डिग्री करने में कोई आपत्ति नही होना चाहिए किया है इसलिए वाद वादी डिग्री किया जाता है आदेश पृथक से लिखा जाकर डिग्री पर्चा बनाते हुए पत्रावली कैफियत दाखिल नम्बर से कम हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 18:12:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कार्यालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

मु.नं. 125/2019 फर्द अहकाम

छोट्या उर्फ छोटेलाल उम्र 31 साल जाति कोली नि० सनेट तह० हिण्डौन

बनाम

1. गोला
2. सुका
3. विष्णु
4. मु. लीलावती पि० छन्नुआ जाति कोली नि० सनेट
5. जगदीश
6. मन्नू पि० मांगी जाति कोली नि० सनेट त. हिण्डौन
7. तहसीलदार जी तह० हिण्डौन जिला-करौली

दावा बाबत इस्तकरार हक (दुरुस्ती कन्ज्यूज)

निर्णय

1. प्रकरण संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख.नं. 1243/876 रकबा 1.26 हे० स्थित ग्राम सनेट तह० हिण्डौन वादी एवं प्रति. सं. 1 ता 4 व हिस्सा 1/2 एवं प्रति. सं. 5 व 6 व हिस्सा 1/2 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है लेकिन आराजी के खातेदारी के कॉलम में वादी का गाँव में बोलता नाम ~~छोट्या~~ घोट्या दर्ज रिकॉर्ड कर दिया गया जबकि सरकार रिकॉर्ड मसलन आधारकार्ड पहचान-पत्र, समस्त शैक्षणिक दस्तावेजात आदि में वादी का नाम छोटेलाल दर्ज रिकॉर्ड है जबकि उक्त दोनों ही नाम छोटेलाल व घोट्या वादी के नाम है। इसलिए खातेदारी के कॉलम में वादी का नाम घोट्या के स्थान पर छोट्या उर्फ छोटेलाल दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

बाद वादी दर्ज [illegible] प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी [illegible] ने हाजिर अदालत आकर [illegible] को [illegible] कि वादी का नाम छोट्या उर्फ [illegible] रिकॉर्ड में संशोधित करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं बाद वादी डिक्री करने में भी उनका कोई विरोध नहीं है।

P.T.O

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 18:12:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपजिला कलेक्टर हि

दिनांक	फर्द अहकाम
	अर्थात ऐसी सूरत में जब वादी के अलावा विवादग्रस्त आराजी ख. नं. 1243/876 के समस्त खातेदारान इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वादी के वाद का समर्थन करते हैं साथ ही वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड फोटो पहचान-पत्र, राशन कार्ड, प्रारंभिक शैक्षणिक रिकॉर्ड आदि भी प्रस्तुत किये हैं जिनमें वादी का फोटो लगा हुआ है एवं उसमें उसका नाम छोटेलाल कोली अंकित है वादी की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने भी उपरोक्त समस्त तथ्यों को अपनी बहस में दोहराया है एवं न्यायालय से प्रार्थना की है कि दावा वादी डिग्री फरमाया जावे।
	अत: उपरोक्तानुसार समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से विधी द्वारा स्थापित वि-दुओं के विनिश्चय के उपरान्त एवं पत्रावली पर मौजूदा तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण के बाद वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में घोट्या के स्थान पर घोट्या उर्फ छोटेलाल संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है वादी द्वारा पत्रावली पर मौजूदा तथ्यों के अलावा यदि कोई तथ्य छुपाने अथवा गलत प्रस्तुतिकरण की सूरत में उसके परिणामों की समस्त जिम्मेदारी स्वयं वादी की होगी।
	आदेश
	दावा वादी डिग्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आराजी ख. नं. 1243/876 रकबा 1.26 है० स्थित ग्राम सनैट तह० हिण्डौन के खातेदारी के कॉलम में वादी का नाम घोट्या के स्थान पर घोट्या उर्फ छोटेलाल दर्ज किया जावे। [illegible] तह० हिण्डौन के समक्ष खातेदारान के [illegible] प्रस्तुत करने की सूरत अनुसार [illegible] नामांकिया का नोट हस्ब फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 18:12:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डौन व इजलास श्री सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस.

उनवान

घोटया उर्फ छोटेलाल पुत्र स्व. कलुआ जाति कोली निवासी सनेट तहसील हिण्डौन

बनाम

1.भोला 2.सूका 3.विष्णु 4.मु.लीलावती पिसरान कलुआ जाति कोली निवासी सनेट
5.जगदीश 6.मन्नू पुत्र मांगी जाति कोली निवासी सनेट
7.तहसीलदार तहसील हिण्डौन

दावा बाबत :– इस्तकरार हक (दुरूस्ती इन्द्राज) मुकदमा नंबर 125 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई हमारे व हाजिरी श्री अशोक मीमनका एडवोकेट वादी मिनकानिब मुदई रूबरू...मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 1243 / 876 रकबा 1.26 हैक्टेयर स्थित ग्राम सनेट तहसील हिण्डौन के खातेदारी के कॉलम में वादी का नाम छोट्या के स्थान पर घोट्या उर्फ छोटेलाल दर्ज किया जावे एवं तहसीलदार तहसील हिण्डौन के समक्ष खातेदारान के बालिग होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सूरत उनके नाम के आगे से नाबालिग का नोट हजम फरमाया जावे। डिक्री जारी हो।

निज.......x.......मुबलिग.......x.......बाबत.......x खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.......x....... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....x...........का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 08 सन् 2019 को जारी की गयी।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा हिण्डौन

मुहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकुमनामा		
बाबत इजराय हुकुमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट:–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.02.19 18:12:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner